



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072026-274198
CG-DL-E-06072026-274198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 193]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

सं. 18 /2026-2027

विषय: भारत-यूआई सीईपीए (टैरिफ हेड 7108) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी सोने के आयात के लिए टीआरक्यू प्राधिकार पत्र की वैधता को दिनांक 30.09.2026 तक बढ़ाने के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/35/एएम-25/पीसी-2(ए)/ई-43340.— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.04 के साथ पठित पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 24.03.2026 की सार्वजनिक सूचना संख्या 53/2025-26 के क्रम में, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा भारत-यूआई सीईपीए के तहत जारी सीटीएच 7108 के अंतर्गत सोने के आयात के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी टीआरक्यू प्राधिकार पत्रों की वैधता को 30.06.2026 की मौजूदा वैधता से बढ़ाकर 30.09.2026 तक करते हैं।

2. टीआरक्यू प्राधिकार पत्रों के इस स्वतः विस्तार का लाभ उठाने के लिए किसी अलग आवेदन, संयोजन शुल्क, संशोधन या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: भारत-यूएई सीईपीए के तहत जारी सीटीएच 7108 के अंतर्गत सोने के आयात के लिए टीआरक्यू प्राधिकार पत्रों की वैधता, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी की गई थी, स्वतः ही 30.09.2026 तक बढ़ा दी गई है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st July, 2026

No. 18/2026-27

Subject: Extension in the validity of TRQ Authorisation for import of gold under India-UAE CEPA (Tariff Head 7108) issued in FY 2025-26, till 30.09.2026 - reg.

F. No. 01/89/180/35/AM-25/PC-2(A) / E-43340.— In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 read with 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, and in continuation to Public Notice no. 53/2025-26 dated 24.03.2026, the Directorate General of Foreign Trade hereby extends the validity of TRQ Authorisations issued in the financial year 2025-26, for import of Gold under CTH 7108 issued under the India-UAE CEPA, from the existing validity of 30.06.2026 up to **30.09.2026**.

2. No separate application, composition fee, amendment or endorsement shall be required to avail this automatic extension of TRQ Authorisations.

Effect of this Public Notice: The validity of TRQ Authorisations for import of Gold under CTH 7108 issued under the India-UAE CEPA, issued in the financial year 2025- 26, stands automatically extended up to **30.09.2026**.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade And Addl. Secy.